

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०११

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्री चरतालाता भालेकर 2. वर्तमान धारित पर: विद्युतकार  
 3. वर्तमान वेतन: 8670+1900 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख: 1-7-2012

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संगति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	औपचारिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
				निर्दिष्ट		

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में एकाग्र मूल्य उल्लेख किए जाएं।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणियाँ : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की प्रवधि के सन्तान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसका अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर की गई भू-अधिकार के अन्तर्गत या अन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में बतलाएँ।

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: चरतालाता भालेकर  
 पद: विद्युतकार

दिनांक: - 16/8/2011